तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। विपक्षीगण की विधिवत तामील के बावजूद कोई उपस्थित नहीं। अतः एक पक्षीय कार्यवाही के लायी जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। अतः पत्रावली स्वीकार की जाती है निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर – 123/2020 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1– हगामी पत्नी घीसु लाल गुर्जर निवासी मूशी तहसील बनेड़ा

--प्रार्थी

बनाम

1– देबी पिता हजारी गुजर निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
2– सोहन पिता हजारी गुजर निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
3– रघुवीर पिता घीसु गुजर निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
4– लादु पिता भागचन्द गुजर निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
5– गोविन्द पिता शम्भु सुथार निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
6– बड़ोदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बनेड़ा।
7– तहसीलदार बनेड़ा।

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111--128 राजस्थान भू--राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थीः– कृष्ण कुमार जीनगर

निर्णय

दिनांक :– 13/09/2023

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111--128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम मुशी पटवार हल्का मुशी भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 646 के आराजी नम्बर 2980/355 रकबा 0.7588 है0** भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संवंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए **प्रार्थी** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमावंदी का अवलोकन किया गया। **जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम मुशी पटवार हल्का मुशी भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 646 के आराजी नम्बर 2980/355 रकबा 0.7588 है0** भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। **प्रार्थी** अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर **ग्राम मुशी पटवार हल्का मुशी भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 646 के आराजी नम्बर 2980/355 रकबा 0.7588 है0** भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक **उपरेड़ा** को **500/– रूपये** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक **उपरेड़ा** जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक **13-09-2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला शाहपुरा